न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सॉगोद जिला कोटा।

बइजलास रामावतार मीणा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 10/2020 दावा/बउनवान/विनोद वगैरा/भैरूलाल वगैरा

1. विनोद पुत्र मूलचन्द जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा,
2. महेन्द्र पुत्र मूलचन्द जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा।

–प्रार्थीगण–

–बनाम–

1. भैरूलाल पुत्र डालू जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा,
2. गिरिराज प्रसाद पुत्र गजानन्द जाति धाकड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा,
3. रामनारायण पुत्र गजानन्द जाति धाकड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा,
4. सूरजमल पुत्र गजानन्द जाति धाकड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा,
5. उर्मिलाबाई पुत्री गजानन्द जाति धाकड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा,
6. मोरबाई पुत्री गजानन्द जाति धाकड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा जर्ये कायम मुकामान :–
   - 6/1. धनराज पुत्र जगदीश(पिता) व मोरबाई (माता) मोरबाई जाति धाकड निवासी हरिद्वार उत्तराखंड,
   - 6/2. सोभाग पुत्र जगदीश(पिता) व मोरबाई (माता) मोरबाई जाति धाकड निवासी हरिद्वार उत्तराखंड,
   - 6/3. नरेश पुत्र जगदीश(पिता) व मोरबाई (माता) मोरबाई जाति धाकड निवासी भीलवाडा,
   - 6/4. रामदयाल पुत्र जगदीश(पिता) व मोरबाई (माता) मोरबाई जाति धाकड निवासी बूढनी तह.सांगोद,
   - 6/5. गोपीचन्द पुत्र जगदीश(पिता) व मोरबाई (माता) मोरबाई जाति धाकड निवासी बूढनी तह.सांगोद,
   - 6/6. सुगना पुत्री जगदीश(पिता) व मोरबाई (माता) मोरबाई जाति धाकड निवासी हरिद्वार उत्तराखंड,
   - 6/7. सलोचना पुत्री जगदीश(पिता) व मोरबाई (माता) मोरबाई जाति धाकड निवासी झालरी तहसील कनवास जिला कोटा,
   - 6/8. लटूरबाई पुत्री जगदीश(पिता) व मोरबाई (माता) मोरबाई जाति धाकड निवासी भंवरगढ तहसील किशनगंज जिला बारां,
7. राज्य सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद जिला कोटा। –अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

––:: निर्णय ::–– दिनॉक :– 25/10/24

प्रार्थीगण की ओर से इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के संयुक्त खाते व कब्जेकाश्त की आराजी माल ग्राम बूढनी पटवार

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

हल्का उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता संख्या नई 177 के खसरा नंबर 55 रकबा 1.11 हैक्टर, खसरा नंबर 57 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नंबर 58 रकबा 0.10 हैक्टर कुल 3 किता की 2.61 हैक्टर आराजीयात स्थित है। उक्त आराजीयात की काश्त व्यवस्था अन्य सहखातेदारन की सहमति से प्रार्थीगण ही करते है जिससे अन्य सहखातेदारान की सहमति से उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से ही प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त आराजीयात में आने जाने का रास्ता सदैव से माल ग्राम उमरदा तहसील सांगोद के खसरा नंबर 711, 712 के दक्षिणी मेड व खसरा नंबर 715 की उत्तरी मेड के मध्य होकर रहा है तथा उक्त रास्ते का उपयोग कर प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान अपनी आराजी पर आने जाने व अपने कृषियन्त्र ट्रेक्टर ट्रोली, हार्वेस्टर आदि लाने ले जाने के काम में लेता आ रहा है तथा अपने पूर्वजों के समय से प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं जिससे प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान को उक्त रास्ते का सुखाधिकार प्राप्त है। उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने का पीढियों पुराना रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जून 2020 से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के रास्ते को बन्द करने का प्रयास कर रहे हैं और रास्ते पर से निकलने से रोक रहे हैं, बडी मुश्किल से प्रार्थीगण ने बरसात की फसल बाई थी जिसे काटने के बाद आज से 8 दिन पूर्व जब दूसरी फसल बोने के लिए हंकाई जुताई हेतु ट्रेक्टर लेकर खेत पर जाने लगा तो अप्रार्थीगण ने जबरन लडाई झगडा करके प्रार्थीगण को रोक दिया और कोट करके रास्ता बन्द कर दिया है। उक्त रास्ता खुलासा करवाने हेतु ग्राम पंचायत में निवेदन करने पर उन्होने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की कहकर प्रार्थी को वापस भेज दिया और कोई कार्यवाही नहीं की ।तब से लगातर अप्रार्थीगण कं. 1 लगायत 7 मिलकर प्रार्थी के खेत पर आने जाने के रास्ते में बाधा कारित करते हैं औश्र प्रार्थी को अपने कृषियन्त्र भी लोने ले जाने नहीं देते हैं तथा रास्ते का उपयोग करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा रहते हैं तथा खसरा नंबर 711 व खसरा नंबर 715 के खातेदारों द्वारा रास्ते के लगवा अपने खेतों की पश्चिमी मेड पर पत्थरों का परकोटा कर दिया है और उक्त रास्ते को स्थाई रूप से बन्द कर दिया है तथा रास्ता खुलासा करने की कहने पर लडाई झगडा करने पर आमादा हुये तथा प्रार्थी के खेत पर आने जाने का अन्य कोइ वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है जिससे रास्ते के अभाव में प्रार्थी की आराजी काश्त करना असंभव हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के लिए माननीय न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा बन्द किये गये प्रार्थीगण के रास्ते को तत्काल खुलासा नहीं किया गया तो रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण की आराजी पडत रह जावेगी जिससे प्रार्थी को काफी अपरिमित क्षति होगी। ऐसी स्थिति में माल ग्राम उमरदा तहसील सांगोद में स्थित उक्त रास्ते की पश्चिमी मेड पर किये गये पत्थरों का कोट हटाया जाकर खसरा

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

नंबर 711, 712 के दक्षिणी मेड व खसरा नंबर 715 की उत्तरी मेड के मध्य स्थिति रास्ते को खुलासा करवाया जाना आवश्यक है। उक्त रास्ते के अभाव में प्रार्थी की आराजी पडत रहने की काफी अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में नहीं हो सकेगी। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माल ग्राम उमरदा तहसील सांगोद में स्थित उक्त रास्ते की पश्चिमी मेड पर किये गये पत्थरों का कोट हटाया जाकर खसरा नंबर 711, 712 दक्षिणी मेड व खसरा नंबर 715 की उत्तरी मेड के मध्य स्थित रास्ते को खुलासा करवाया जाने व उक्त रास्ते को बहाल किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने हेतु आदेश पारित फरमाया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी अप्रार्थी क्रं. 1 की ओर से श्री मोहनलाल पोटर एडवोकेट ने अण्डरटेकिंग दी। शेष अप्रार्थीगण के समन अदम तामील में प्राप्त होने पर जर्ये समाचार पत्र देनिक नवज्योति में अखबार साया के जरिये पक्षकारों की तलबी करवाई गई किन्तु बावजूद तलबी अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बिरधीबाई द्वारा अपना हिस्सा रिलीजडीड से अप्रार्थी क्रं. 1 के हक में तर्क कर देने से उसका नाम डिलिट किया गया। जवाब सरकार मय मौका रिपोर्ट के प्रस्तुत हुई।

वकील प्रार्थी की बहस एकतरफा सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत जवाब, मौका रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी की आराजी ग्राम बूढनी तहसील सांगोद के खसरा नंबर 55, 57, 58 में पहुंचने के लिए बपावरकलां से उमरदा जाने वाली मुख्य ग्रामीण सडक से खसरा नंबर 598, 603, 601, 602, 697, 696, 624, 622, 708 में होकर प्रचलित रास्ता खुला हुआ है और उसके बाद खसरा नंबर 711, 712, 715 के खातेदारों द्वारा ने पत्थर कोट कर रखा है तथा प्रार्थी के पास अपनी आराजी में आवागमन करने का वादग्रस्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करना उचित समझता हूं।

अतः ग्राम उमरदा तहसील सांगोद के खसरा नंबर 598, 603, 601, 602, 697, 696, 624, 622, 708 में मौजूद प्रचलित रास्ते से प्रार्थी की ग्राम बूढनी तहसील सांगोद की आराजी खसरा नंबर 55, 57, 58 तक आवागमन करने हेतु प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा नंबर 711 रकबा 1.51 में से 0.0160हैक्टर दक्षिणी, खसरा नंबर 712 रकबा 2.48 में से 0.0272 हैक्टर

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

दक्षिणी एवं खसरा नंबर 715 रकबा 0.66 में से 0.0432 हैक्टर उत्तरी आराजी को गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है, उक्त भूमि को राजकीय खाते में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे तथा उक्त रास्ते में होकर प्रार्थी के आवागमन में अप्रार्थी कं. 1 व 3 लगायत 6 एवं अप्रार्थी कं. 6/1 लगायत 6/8 किसी प्रकार से मदाखलत, मजामहत, क्षति, बाधा कारित नहीं करें। तहसीलदार सांगोद उक्त प्रस्तावित रास्ते को खुलासा करके प्रार्थी का आवागमन बहाल करे। प्रचलित डीएलसी दर 10,23,379/— रूपये प्रति हैक्टर की दर से उक्त रास्ते में खसरा नंबर 711, 712 में से जाने वाली 0.0432 हैक्टर भूमि की प्रतिकर राशि 44,211/—रूपये अप्रार्थी कं. 2, 3, 4, 5 एवं 6/1 लगायत 6/8 को एवं खसरा नंबर 715 में से जाने वाली 0.0432 हैक्टर भूमि की प्रतिकर राशि 44,211/— रूपये अप्रार्थी कं. 1 को अदा की जावे, अदमप्राप्ति की सूरत में उक्त राशि जीए—55 में जमा की जावे। तहसीलदार सांगोद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में इस न्यायालय को प्रेषित करें।

निर्णय आज दिनॉक 25/10/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

Scanned with OKEN Scanner